**प्रेस नोट**

**दिनांक-14.10.2021**

**सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस**

**अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके हत्या के अभियुक्तगणों को कड़ी सजा दिलाई गई।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री विनोद कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में प्रभावी पैरवी करके मु0अ0सं0 255/12 धारा 304/323/504/506 भादवि में अभियुक्तगण 1.रामसेवक पुत्र हितलाल कोरी, 2.शोभनाथ पुत्र जगत लाल मौर्य, 3.बेचन लाल पुत्र गंगाधर कोरी व 4.अनिल पुत्र लक्ष्मी नरायण कश्यप नि0गण सांगापुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-9 जनपद सुल्तानपुर द्वारा दिनांक-13.10.2021 को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

**घटना का संक्षिप्त विवरणः-**

वादी श्री श्रवण कुमार वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा सांगापुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 07.05.2012 की तहरीर के आधार पर वादी के 28 वर्षीय चचेरे भाई को अभियुक्तगण 1.रामसेवक पुत्र हितलाल कोरी, 2.शोभनाथ पुत्र जगतलाल मौर्य, 3.बेचनलाल पुत्र गंगाधर कोरी व 4.अनिल पुत्र लक्ष्मी नरायण कश्यप नि0गण सांगापुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी द्वारा मारपीट गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देना व इलाज के दौरान अस्पताल मे मृत्यु हो जाना के इस सूचना पर थाना पीपरपुर पर मु0अ0सं0 255/12 धारा 304/323/504/506 भादवि पंजीकृत होकर जिसमें एस0एच0ओ0 श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिये आरोप पत्र संख्या ए-55 दिनांक 09.06.2012 को माननीय न्यायालय प्रेषित की गई।